छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल,

पेंशनबाड़ा, रायपुर-492 001

फोन नं.0771-2437004 फैक्स नं. 0771-2492385

क्रमांक/378/प्रशा./स्था./2018 रायपुर दिनांक02/08/2018

शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 13-09/2011/20-3 रायपुर दिनांक 01.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2010 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधीन शीघ्रलेखक के 02 (नियमित) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है:-

2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1. परीक्षा की तिथि - **30 सितम्बर 2018 (रविवार)**
2. परीक्षा का समय - अपरान्ह 02:00 बजे से 5:15 तक
3. परीक्षा केन्द्र (05 संभागीय मुख्यालयों में) - अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलुपर एवं रायपुर
4. परीक्षा शुल्क - परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-
   - सामान्य वर्ग - 350/-
   - अन्य पिछड़ा वर्ग - 250/-
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ निःशक्तजन - 200/-
5. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि - 07.08.2018 (मंगलवार)
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि - 04.09.2018 (मंगलवार), रात्रि 11.59 बजे तक
7. व्यापम की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि - 24.09.2018 (सोमवार)

3. रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	वेतन	वर्ग	पद संख्या				
				अनारक्षित	महिला	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन	योग
1.	शीघ्रलेखक (नियमित)	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	अनारक्षित	02	-	-	-	02
			अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-
			अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-
			अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)	-	-	-	-	-
			कुल	02	-	-	-	-

क्रमशः 2

शैक्षणिक योग्यताः-

(1) "किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद सेः-

(घ) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनिट तथा 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण ।

(ङ) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनिट तथा 35 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण ।

(च) व्दिभाषी शीघ्रलेखक के लिये उपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए डाटा एन्ट्री में में 10,000 की (KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।"

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांकएफ 13-15/2012/आ.प्र./1/3 दिनांक 18.07.2012 के निर्देशानुसार की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012. 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।

नियम एवं शर्तेः-

(1) तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 13-09/2011/20-3 रायपुर दिनांक 01.05.2017 व्दारा प्राप्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2010 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार की जावेगी ।

(2) दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । छ.ग शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व., महिला,विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी ।

(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है ।

(4) चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा ।

(5) आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है ।

(6) महिलाओं को नियमानुसार क्षैतिज (Horizontal आरक्षण दिया जावेगा । किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे । वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार व्दारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है ।

(7) भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा ।

(8) उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के उम्मीदवारों को समक्ष प्राधिकारी व्दारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(9) आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है ।

(10) आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते । बाद में अभ्यर्थी के व्दारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

क्रमशः....3...

(11) आवेदक को पद के लिये मण्डल के सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2010 में निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है । आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा/चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी ।

(12) संबंधित पद के लिये वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा .

(13) व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा । मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग व्दारा की जावेगी ।

चयन प्रक्रियाः-

(1) विज्ञापित पदों हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापम व्दारा 200 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जायेंगे । निगेटिव मार्किंग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा । परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार एवं वर्गवार शीघ्रलेखक पद हेतु दस गुना अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा । कम्प्यूटर दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा अभ्यार्थियों व्दारा ऑनलाइन आवेदन में विभाग के दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर व्यापम व्दारा विभाग आवंटित किया जावेगा । अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात् चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग व्दारा की जावेगी ।

(2) उन अभ्यार्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो से संबंधित अन्य अभ्यार्थियों की एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित किया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा.

(3) मण्डल के सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2010 तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम, 1965 के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये उसी सूची क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(4) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर